न्यायालय –अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी – सीमा कुमारी (आर.जे.एस)

निर्णय दिनांक – 04 मई, 2026

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या – 685/2021

सीआईएस नंबर – 685/2021

सीएनआर नंबर – RJJH070014392021

राजस्थान राज्य बनाम मोतीलाल

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 410/2021, पुलिस थाना खेतडी
अपराध अन्तर्गत धारा– 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादी	प्रमोद पुत्र रामजीलाल, हाल उम्र 25 वर्ष, निवासी ढाणी नया कुआं, बाडलवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज.)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी श्री कृष्ण कुमार
अभियुक्त का नाम व पता	मोतीलाल पुत्र माडुराम, हाल उम्र 52 वर्ष, निवासी रोजड़ा, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज.)
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री ग्यारसीलाल

B

अपराध की दिनांक	31.05.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	05.06.2021
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	30.11.2021
आरोप मौखिक सुनाने की दिनांक	30.11.2021
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	08.06.2023

निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	04.05.2026
निर्णय दिनांक	04.05.2026

C
अभियुक्त का विवरण

क्र. सं	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिये अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	मोतीलाल	30.11.2021	30.11.2021	279, 337, 338 भा.दं.सं	दोषमुक्त	––	––

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची
अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी0डब्ल्यू 01	प्रमोद	एफआईआरकर्ता–आहत–चश्मदीद
पी0डब्ल्यू 02	रामजीलाल	फर्द गवाह
पी0डब्ल्यू 03	मुकेश	फर्द गवाह
पी0डब्ल्यू 04	हंसराज	चश्मदीद साक्षी
पी0डब्ल्यू 05	माडुराम	फर्द गवाह
पी0डब्ल्यू 06	मालाराम	फर्द गवाह
पी0डब्ल्यू 07	अशोक	चश्मदीद साक्षी
पी0डब्ल्यू 08	सोनू	चश्मदीद साक्षी
पी0डब्ल्यू 09	ओमप्रकाश	अनुसंधान अधिकारी
पी0डब्ल्यू 10	संजय	चिकित्सकीय साक्षी
पी0डब्ल्यू 11	डॉ. गिरधारीलाल	चिकित्सकीय साक्षी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	–निल–	––

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श
अ–अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण–
01	प्रदर्श पी–01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी–02	चाक प्र.सू.रिपोर्ट
03	प्रदर्श पी–03	फर्द नक्शामौका घटनास्थल
04	प्रदर्श पी–04	फर्द निरीक्षण मोटरसाईकिल नं. RJ 18 SV 5560
05	प्रदर्श पी–05	पुलिस बयान हंसराज
06	प्रदर्श पी–06	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट
07	प्रदर्श पी–07	फर्द जप्ती कमाण्डर जीप
08	प्रदर्श पी–08	फर्द जप्ती असल कागजात गाड़ी
09	प्रदर्श पी–09	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
10	प्रदर्श पी–10	एक्स–रे रिपोर्ट प्रमोद
11	प्रदर्श पी–11	एक्स–रे प्लेट प्रमोद
12	प्रदर्श पी–12	चोट प्रतिवेदन प्रमोद

ब–बचाव प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण

–	–	–

स–न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	–निल–

द–भौतिक वस्तुएं

क्रम संख्या	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	–निल–

–:: निर्णय :: **दिनांक 04/05/2026**

01. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी प्रमोद ने पुलिस थाना, खेतड़ी में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की ''कि दिनांक 31.05.2021 को मोटरसाईकिल नं. RJ 18 SV 5560 से कस्बा खेतड़ी जा रहा था। जब प्रार्थी बाडलवास से रामपुरा रोड पर जा रहा था, तब ग्राम त्योंदा में रामप्रताप के मकान के पास पहुंचा तो समय करीब 12.15 पी.एम. पर सामने की तरफ से एक कमाण्डर जीप नं. RJ 18 UB 0665 को उसका चालक तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आया व रोंग साईड में लाकर प्रार्थी की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थी गिर गया व प्रार्थी के बाएं पैर व शरीर पर अन्यत्र गंभीर चोटें आईं। वहां से गुजर रहे सोनू, हंसराज व अन्य ने प्रार्थी को उठाया व प्रार्थी की हालत गंभीर होने के कारण प्रार्थी को तुरंत कोटपूतली अस्पताल लेकर गए। वहां पर प्रार्थी का ऑपरेशन हुआ। प्रार्थी इलाज में व्यस्त था, इस कारण से रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सका था। आदि–आदि।'' जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 410/2021, पुलिस थाना खेतड़ी में दर्ज कर, बाद अनुसंधान अभियुक्त मोतीलाल के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. अभियुक्त को धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप सारांश मौखिक सुनाया समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में पृष्ठ संख्या 02 पर भाग द्वितीय **"अ"** में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये व पृष्ठ संख्या 03 पर भाग द्वितीय **"अ"** में वर्णित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये।

04. बयान मुलजिम लिए गए। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करनी चाही, जिस पर प्रतिरक्षा साक्ष्य समाप्त की गई।

05. बहस अंतिम उभयपक्षीय सुनी गई। अभियोजन अधिकारी ने बहस अंतिम में कथन किया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को उचित दंड दिया जावे।

06. अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस अंतिम में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में पांच दिन के विलंब से प्र.सू.रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और विलंब का कोई पर्याप्त व संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है। प्र.सू.रिपोर्ट में घटना के चश्मदीद साक्षियों के रूप में नामजद सोनी व हंसराज दुर्घटना स्थल के आसपास के निवासी नहीं है, वरन् परिवादी के गांव के हैं। अतः वक्त दुर्घटना मौके पर उक्त गवाहान की मौजूदगी संदिग्ध है। मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 के मुताबिक कमाण्डर जीप के नंबर प्लेट पर हल्की–सी रगड़क के अलावा दुर्घटना के कोई आलामात उक्त वाहन पर नहीं थे। दुर्घटनास्थल छोटी गली व घुमावदार मोड वाला स्थान है, जिसके कारण सामने से आता वाहन दिखाई नहीं देता। आहत प्रमोद के पास ड्राईविंग लाइसेंस नहीं था और स्वयं आहत की लापरवाही से उक्त दुर्घटना हुई थी। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

07. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरुद्ध विचारणीय बिंदू हैं किः–

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 31.05.2021 को समय करीब 12:15 पी.एम. पर बाडलवास से रामपुरा जाने वाली आम सड़क पर गांव त्योंदा में वाहन कमाण्डर जीप नम्बर RJ 18 UB 0665 को उतावलेपन या उपेक्षा से संचालित कर **धारा 279 भा.दं.सं** का अपराध कारित किया?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय, स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत को टक्कर मारकर उपहित कारित कर **धारा 337 भा.दं.सं** का अपराध कारित किया?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय, स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत को टक्कर मारकर घोर उपहित कारित कर **धारा 338 भा.दं.सं** का अपराध कारित किया?

4. यदि हां तो सजा ?

08. उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में न्यायालय की विवेचना निम्नानुसार हैः–

हस्तगत प्रकरण में परिवादी प्रमोद उर्फ रामपाल ने तहरीर रिपोर्ट **प्रदर्श पी–01** संबंधित थाने में इस आशय की प्रस्तुत की ''कि दिनांक 31.05.2021 को मोटरसाईकिल नं. RJ 18 SV 5560 से कस्बा खेतड़ी जा रहा था। जब प्रार्थी बाडलवास से रामपुरा रोड पर जा रहा था, तब ग्राम त्योंदा में रामप्रताप के मकान के पास पहुंचा तो समय करीब 12.15 पी.एम. पर सामने की तरफ से एक कमाण्डर जीप नं. RJ 18 UB 0665 को उसका चालक तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आया व रोंग साईड में लाकर प्रार्थी की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थी गिर गया व प्रार्थी के बाएं पैर व शरीर पर अन्यत्र गंभीर चोटें आईं। वहां से गुजर रहे सोनू, हंसराज व अन्य ने प्रार्थी को उठाया व प्रार्थी की हालत गंभीर होने के कारण प्रार्थी को तुरंत कोटपूतली अस्पताल लेकर गए। वहां पर प्रार्थी का ऑपरेशन हुआ। प्रार्थी इलाज में व्यस्त था, इस कारण से रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सका था। आदि–आदि।''

09. हस्तगत प्रकरण के आहत–चश्मदीद–एफआईआरकर्ता **पी0ड0–01 प्रमोद उर्फ रामपाल** ने सशपथ कथन किया कि ''दिनांक 31.05.2021 को मैं बाडलवास से खेतड़ी मेरी बाईक नंबर RJ 18 SV 5560 से जा रहा था। जैसे ही मैं त्योंदा में रामप्रताप के घर के पास 12.00–12.30 पी.एम. पर पहुंचा तो सामने से एक कमांडर गाड़ी नंबर RJ 18 UB 0665 का चालक तेज गति व गलत साईड में आकर मेरी बाईक के टक्कर मार दी, जिस कारण मेरा बायां पैर फ्रैक्चर हो गया व हाथ पर चोट लगी। सामने से आ रहे **सोनू** व **हंसराज** ने मुझे उठाया और कोटपूतली अस्पताल ले गए। वहां पर मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ। **कमांडर गाड़ी का चालक मोतीलाल था।** इस घटना की मैंने थाने में रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 दी, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 है, जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरे सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 बनाया था, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरी चोट का मेडिकल मुआयना, एक्स–रे हुआ था। मेरा अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिस कारण मैंने देरी से एफआईआर दर्ज करवाई थी।''

गवाह ने **जिरह** में स्वीकार किया कि ''मेरे पास बाईक चलाने का लाइसेंस है। यह बाईक मेरे पिताजी के नाम से है। जहां पर मेरा एक्सीडेंट हुआ, वहां पर घुमाव था। यह कहना सही है कि घुमाव के कारण आमने–सामने आने वाले साधन दिखाई नहीं देते। **वहां पर मौजूद लोगों ने कमाण्डर गाड़ी के चालक का नाम बताया था।** मैं कोटपूतली अस्पताल में दिनांक 31.05.2021 से **दिनांक 02.06.2021 तक रहा था। उसके बाद मैं** स्वस्थ होने पर **घर आ गया।** यह कहना सही है कि मैं अब स्वस्थ हूं।''

10. हस्तगत प्रकरण में दुर्घटना के चश्मदीद साक्षियों के रूप में नामजद व परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू 4 हंसराज तथा पीडब्ल्यू 8 सोनू हैं।

पीडब्ल्यू–4 हंसराज ने सशपथ कथन किया कि ''दिनांक 31.05.2021 को त्योंदा से मेरे गांव बाडलवास जा रहा था। मैं गाड़ी से जा रहा था। सवा बारह–साढे बारह बजे त्योंदा में रामपुरा मोड पर पहुंचा तो वहां **रामपाल घायल अवस्था में पड़ा था,** जिसके पैर से खून निकल रहा था। जिसके पास हमारे गांव के सोनू और प्रमोद खड़े थे। ख्यालीराम ने धर्मपाल की बोलेरो गाड़ी बुलाकर के रामपाल को उसमें बैठाकर के उसको कोटपूतली

अस्पताल ले गए, जिसके साथ ख्यालीराम और सोनू थ। गांव त्योंदा में कमांडर जीप ने रामपाल की मोटरसाईकिल के रामपुरा मोड़ पर टक्कर मार दी। **टक्कर आमने–सामने हुई थी।"**

गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि "यह सही है कि **मैंने दुर्घटना होते हुए नहीं देखा था।** मैं यह नहीं बता सकता कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी। मैंने मौके पर चालक को भी नहीं देखा था।"

11. दीगर चश्मदीद **पीडब्ल्यू–8 सोनू** ने सशपथ कथन किया कि "दिनांक 31.05.2021 को मैं पैदल–पैदल दिन के ग्यारह बजे बाडलवास से परचून का सामान लेने के लिए त्योंदा जा रहा था। जब मैं प्रवेश स्कूल के पास पहुचा तो मेरे सामने एक कमांडर गाडी ने एक मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी। **गाडी के नंबर आज मुझे ध्यान नहीं है।** कमांडर गाडी वहीं रूकी रही, जिसका चालक मुझे वहां नही दिखा। मोटरसाईकिल पर मेरे गांव का प्रमोद था जिसे गंभीर चोट आई। बाद में मैने उसके चाचा ख्यालीराम को फोन करके बुलाया। प्रमोद को कोटपुतली अस्पताल में भर्ती करवाया। गाडी का चालक मोतीलाल था जो मुझे बाद में पता चला। **कमांडर चालक का नाम मुझे पुलिस वालों ने बताया है।** कमांडर चालक की गलती से दुर्घटना हई थी।"

गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि "जहां दुर्घटना हुई वहां पर ढलान और अंधा मोड है जो बीस मीटर की दूरी से आगे तक देखा नहीं जा सकता।"

12. प्रकरण में परीक्षित पीडब्ल्यू 2 रामजीलाल व पीडब्ल्यू 3 मुकेश नक्शा मौका घ ाटनास्थल तथा फर्द निरीक्षण वाहन के संबंध में परीक्षित गवाह है। दोनों गवाहों ने लगभग शब्दों में कथन किया कि "दिनांक 05.06.2021 को पुलिस ने मेरे सामने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी–3 है। उसी रोज पुलिस ने मेरे सामने क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल का निरीक्षण किया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–4 है।" गवाहों ने फर्दों पर अपने हस्ताक्षरों की ताईद की है।

गवाह पीडब्ल्यू 2 रामजीलाल ने **जिरह** में कथन किया कि ''जिस मोटरसाईकिल का एक्सीडेंट हुआ वो ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुई, कोई मामूली खरोंच थी। पुलिस वालों ने मेरे को मोटरसाईकिल शाम के चार साढ़े चार बजे सुपुर्द करवाई।''

गवाह पीडब्ल्यू 3 मुकेश ने **जिरह** में कथन किया कि ''यह सही है कि दुर्घटना मेरे सामने नहीं हुई। दुर्घटना की आवाज सुनकर मैं घर के बाहर आया था। यह सही है कि घ ाटनास्थल पर छोटी गली और घुमावदार मोड़ होने की वजह से सामने से आने वाला वाहन दिखाई नहीं देता।''

13. हस्तगत प्रकरण में परीक्षित **पीडब्ल्यू 7 अशोक** दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के मैकेनिकल मुआयना के संबंध में परीक्षित गवाह है, जिसने सशपथ कथन किया कि ''मैंने दिनांक 07.06.2021 को मु.नं. 410/2021, थाना खेतड़ी में जप्तशुदा कमांडर जीप नंबर आरजे 18 यूबी 0665 का मैकेनिकल मुआयना किया था। कमांडर जीप के बाईं तरफ का इंडिगेटर टूटा हुआ था। आगे की नंबर प्लेट पर रगड़न का निशान था। मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी–9 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर व सी से डी मेरी रिपोर्ट है।''

गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि ''नंबर प्लेट पर रकडन के निशान कब के थे, मैं नहीं बता सकता। नंबर प्लेट पर **हल्का–सा रकडन का निशान था।** यह सही है **कि ऐसा निशान सामान्यतः भी आ सकता है।''**

14. हस्तगत प्रकरण में परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू 5 माडुराम और पीडब्ल्यू 6 मालाराम फर्द जप्ती कागजात वाहन प्रदर्श पी–7 तथा फर्द जप्ती वाहन प्रदर्श पी–8 के संबंध में परीक्षित गवाह है।

पीडब्ल्यू 5 माडुराम ने सशपथ कथन किया कि ''दिनांक 31.05.2021 को मैं एक कमाण्डर गाड़ी, जिसके नंबर RJ 18 UB 0665 का रजिस्टर्ड मालिक था। उस दिन उस गाड़ी को कौन चला रहा था, मुझे नहीं पता।''

गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि ''मोतीलाल मेरा बेटा है। यह कहना सही है कि नोटिस धारा 133 एमवीएक्ट प्रदर्श पी–6 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है तथा सी से डी जवाब किसका कलमी है, मुझे नहीं पता। यह सही है कि फर्द जप्ती कमांडर गाड़ी व उसके कागजात प्रदर्श पी–7 व प्रदर्श पी–8 है, जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।''

पीडब्ल्यू 6 मालाराम ने सशपथ कथन किया कि ''फर्द जप्ती कागजात वाहन प्रदर्श पी–8 पर ए से बी मेरे साईन है। ये साईन मैंने राजीखुशी किए थे। यह कहना भी सही है कि फर्द जप्ती कमाण्डर जीप प्रदर्श पी–7 पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।''

गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि ''पुलिस ने मेरे साईन खाली कागजों पर करवाए थे।''

15. परीक्षित **पीडब्ल्यू 11 डॉ0 गिरधारीलाल** ने मुख्य परीक्ष में सशथ्प कथन किया कि ''दिनांक 05.06.2021 को मैंने प्रमोद उर्फ रामपाल के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। जिसके चोट सं. 1 बाएं जंघा के नीचले भाग से बाएं पांव तक पट्टी बंधी हुई थी। आरोग्य अस्पताल कोटपूतली में इलाज किया गया, जिसके आईपीडी नंबर 221 है। भर्ती की **दिनांक 21.05.2021** है। छुट्टी की **दिनांक 01.06.2021** है। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–12 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व सी से डी आहत का पहचान चिह्न अंकित है। बाद एक्स–रे चोट सं. 1 गंभीर प्रकृति की पाई गई। **चोटों की अवधि जांच के समय से तीन सप्ताह के अंदर की है।** एक्स–रे कवर प्रदर्श पी–10 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है, ई से एफ मेरी राय है। एक्स–रे फिल्म प्रदर्श पी–11 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।''

रेडियोग्राफर **पीडब्ल्यू 10 संजय** ने सशपथ कथन किया कि ''दिनांक 05.06.2021 को मैंने डॉ. गिरधारीलाल की मौजूदगी व निर्देशन में मजरूब प्रमोद उर्फ रामपाल की एक एक्स–रे फिल्म खींची थी। एक्स–रे कवर प्रदर्श पी–10 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व सी से डी मेरी कलमी है। एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी–11 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।''

16. **पी0ड0–09 ओमप्रकाश** प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ बयानों में दिनांक 05.06.2021 को परिवादी प्रमोद के उपस्थित थाना होकर थानाधिकारी सुरेन्द्र देगड़ा के समक्ष एक तहरीर प्रदर्श पी 01 पेश करने तथा जिसकी पुश्त पर सी से डी कार्यवाही पुलिस अंकित करने व उक्त पर ई से एफ थानाधिकारी सुरेन्द्र देगड़ा के हस्ताक्षर होने, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 होने तथा जिस पर सी से डी सुरेन्द्र देगड़ा के हस्ताक्षर होने, उक्त प्रकरण का अनुसंधान स्वयं के जिम्मे होने, घटनास्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका प्रदर्श पी 03 बनाने, गवाहों प्रमोद, सोनू सिंह, हसंराज के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध करने, फर्द निरीक्षण मोटरसाईकिल नम्बर RJ 18 SV 5560 प्रदर्श पी 04 बनाने, कमाण्डर जीप जिसके नम्बर RJ 18 UB 0665 थे एवं उसके कागजात जरिए फर्द क्रमशः प्रदर्श पी 07 व पी 08 जप्त करने, उक्त जीप के रजिस्टर्ड मालिक माडुराम को धारा 133 एमवीएक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 06 देने, उक्त नम्बरी कमाण्डर जीप का मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी 09 करवाकर शामिल पत्रावली करने, आहत प्रमोद का चोट प्रतिवेदन व एक्स–रे रिपोर्ट मय प्लेट शामिल पत्रावली करने तथा बाद अनुसंधान मोतीलाल के विरूद्ध जुर्म धारा 279, 337, 338 भा.दं.संहिता का आरोप प्रमाणित पाए जाने की ताईद की है। गवाह ने विभिन्न फर्दों पर अपने हस्ताक्षरों की भी ताईद की है।

17. हस्तगत प्रकरण में पेश **प्र.सू.रिपोर्ट प्रदर्श पी–1** में आहत प्रमोद उर्फ रामपाल ने दिनांक **31.05.2021** को हुई दुर्घटना के संबंध में दिनांक **05.06.2021** को, पांच दिन के विलंब से प्र.सू.रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में प्र.सू.रिपोर्ट में अंकन किया कि ''अब तक प्रार्थी इलाज में व्यस्त था, इस कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सका था।''

हस्तगत प्रकरण में आहत के दुर्घटना के तुरंत बाद इलाजरत रहने के संबंध में कोई दस्तावेज शामिल पत्रावली नहीं किए गए हैं। एकमात्र पीडब्ल्यू 11 डॉ. गिरधारीलाल ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि आहत के आरोग्य अस्पताल कोटपूतली में इलाज की आई.पी.डी. नंबर 221 है। भर्ती की दिनांक **21.05.2021** व छुट्टी की दिनांक **01.06.2021** है।

यह उल्लेखनीय है कि मुताबिक पीडब्ल्यू 11 डॉ. गिरधारीलाल आहत अस्पताल में दिनांक 21.05.2021 को भर्ती हुआ, जबकि प्र.सू.रिपोर्ट में प्रदर्श पी–1 के मुताबिक दुर्घटना की दिनांक 31.05.2021 है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आहत को दिनांक 01.06.2021 को छुट्टी मिलने के बाद भी दिनांक 05.06.2021 को प्र.सू.रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तथा कुल चार दिन के अकारण विलंब के संबंध में परिवादी के इलाज में व्यस्त रहने के कथन पर्याप्त व संतोषजनक प्रकट नहीं होते हैं।

18. हस्तगत प्रकरण में यह भी **महत्वपूर्ण** है कि प्रकरण के आहत प्रमोद उर्फ रामपाल का पिता **रामजीलाल** है, जो न्यायालय में भी बतौर साक्षी पीडब्ल्यू 2 परीक्षित हुआ है। क्षतिग्रस्त वाहन आहत के पिता रामजीलाल द्वारा ही सुपुर्दगी पर प्राप्त किया गया है। वक्त दुर्घटना आहत प्रमोद उर्फ रामपाल के द्वारा अपने पिता की मोटरसाईकिल ही चलाई जा रही थी। ऐसी स्थिति में आहत के पिता द्वारा दुर्घटना के तुरंत बाद प्र.सू.रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं करवाई गई, इस संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उक्त तथ्य के मद्देनजर प्र.सू.रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में अंकित स्पष्टीकरण कि ''आहत अपने इलाज में व्यस्त था। इस कारण प्र.सू.रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाई गई,'' कतई स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

दुर्घटना के मामलों में प्र.सू.रिपोर्ट दर्ज करवाने में कारित ऐसा विलंब, जिसका पर्याप्त व संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है; घातक है, जो समस्त घटनाक्रम को संदिग्ध बनाता है।

19. अधिवक्ता अभियुक्त का **तर्क** है कि हस्तगत प्रकरण में प्र.सू.रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में दुर्घटना के चश्मदीद साक्षियों के रूप में नामजद हंसराज व सोनू दुर्घटना स्थल के आसपास के निवासी नहीं है, वरन् आहत के गांव के हैं, जिनकी वक्त दुर्घटना मौके पर उपस्थिति संदिग्ध है। न्यायालय में परीक्षित पीडब्ल्यू 4 हंसराज गांव बाडलवास तथा पीडब्ल्यू 8 सोनू भी गांव बाडलवास का है, जबकि दुर्घटना ग्राम त्योंदा में रामप्रताप के मकान के पास की बताई गई है। ऐसी स्थिति में वक्त दुर्घटना मौके पर उक्त चश्मदीद गवाहों की मौजूदगी संदिग्ध प्रकट होती है। न्यायालय में परीक्षित घटना के चश्मदीद

पीडब्ल्यू 4 हंसराज ने जिरह में दुर्घटना होते हुए **नहीं देखना** स्वीकार किया है। अन्य चश्मदीद पीडब्ल्यू 8 सोनूसिंह ने कमाण्डर गाड़ी द्वारा दुर्घटना कारित करना बताया है, परंतु दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबरों के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में वक्त दुर्घटना कमाण्डर गाड़ी नं. RJ 18 UB 0665 द्वारा आहत की मोटरसाईकिल को सामने से तेज गति से टक्कर मारना अंकित किया है। फर्द निरीक्षण क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल नं. RJ 18 SV 5560 प्रदर्श पी–4 में वाहन के आगे के हिस्से में सीधी टक्कर बाबत् आलामात नहीं है। मैकेनिक मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 से भी वक्त दुर्घटना उक्त कमाण्डर जीप द्वारा सामने से टक्कर मारने के तथ्यों की ताईद नहीं होती है।

अतः पत्रावली पर पेश समग्र साक्ष्य के मद्देनजर न्यायालय का मत है कि वाहन नंबर RJ 18 UB 0665 के चालक के द्वारा दिनांक 31.05.2021 को आहत की मोटरसाईकिल नं. RJ 18 SV 5560 को टक्कर मारने के आरोप संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।

लिहाजा ऊपर की गयी समस्त विवेचना व पत्रावली पर मौजूद समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर न्यायालय का मत है कि अभियुक्त मोतीलाल को आरोपित अपराध धारा **279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता** में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

–::आदेश::–

20. अतः **अभियुक्त मोतीलाल पुत्र माडुराम,** हाल उम्र 52 वर्ष, निवासी रोजड़ा, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज.) को आरोपित अपराध **धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता** में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व पेश जमानत मुचलके तुरंत प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्त वाहन कमाण्डर जीप नं. RJ 18 UB 0665 सुपुर्दगीदार के पास है। बाद गुजरने मियाद अपील सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे।

(**सीमा कुमारी**)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खेतड़ी जिला झुन्झुनूं

21. निर्णय आज दिनांक **04/05/2026** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**सीमा कुमारी**)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खेतड़ी जिला झुन्झुनूं